न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0—3,उन्नाव।

सरकार बनाम मुमताज आदि।

मु0सं0—2735 / 19
मु0अ0सं0—903 / 89
धारा—399, 401 भा0दं0सं0
थाना—कोतवाली जिला उन्नाव।

11—10—2019

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियुक्तगण मुमताज व अशोक कुमार अनुपस्थित।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया एवं अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

पत्रावली के परिशीलन के आधार पर यह विदित है कि अभियुक्तगण मुमताज व अशोक के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—399, 401 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया था जिसमें उपरोक्त अभियुक्तगण वाद संस्थित होने के समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये है। न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर उनके विरूद्ध धारा—82 दं0प्र0सं0 तथा एन0बी0डब्लू0 के प्रासेस जारी किये गये किन्तु दोनों ही अभियुक्तगण उपस्थित नही आये। इससे यह साबित होता है कि दोनों ही अभियुक्तगण फरार हो गये है तथा उनके शीघ्र उपसंजात होने की सम्भावना नही है। वर्तमान मुकदमा वर्ष 1996 से लम्बित है। अतः ऐसी स्थिति में वाद की प्राचीनता तथा अभियुक्तगण के उपस्थित न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुएं दोनों ही अभियुक्तगण मुमताज व अशोक को फरार घोषित किया जाता है तथा उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही धारा—299 दं0प्र0सं0 के तहत अग्रसारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा—299 दं0प्र0सं0 दिनांक 17.10.2019 को पेश सभी साक्षीगण जरिये सम्मन नियत तिथि को तलब हो।

(प्रमोद सिंह यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं0—3,उन्नाव।